

**न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम  
2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 करौली (राज0)**

**नोटिस**

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा **“कोरोना वायरस” (Novel Corona Virus (COVID-19))** को महामारी घोषित करने के पश्चात व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14/पी.आई./2020 दिनांक 14.04.2020 की पालना में इस न्यायालय में जमानत, रिमाण्ड, स्टे, जैसे आवश्यक प्रकृति के मामलो की सुनवाई के अलावा आगामी तारीख पेशीयों हेतु नियत पत्रावलीयां उनके सम्मुख अंकित निम्न आगामी तारीख पेशीयों में नियत की जाती है:-

क.सं.	नियत तिथि	आगामी तिथि
1	15.04.2020	04.05.2020
2	16.04.2020	06.05.2020
3	17.04.2020	07.05.2020
4	18.04.2020	08.05.2020
5	20.04.2020	11.05.2020
6	21.04.2020	12.05.2020
7	22.04.2020	13.05.2020
8	23.04.2020	14.05.2020
9	24.04.2020	15.05.2020
10	27.04.2020	16.05.2020
11	28.04.2020	18.05.2020
12	29.04.2020	19.05.2020
13	30.04.2020	20.05.2020
14	01.05.2020	21.05.2020
15	02.05.2020	22.05.2020



विशिष्ट न्यायाधीश,

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012  
एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 करौली

क्रमांक / 141  
प्रतिलिपि -

दिनांक 15.04.2020

- माननीय जिला एव सेशन न्यायाधीश, करौली।
- अध्यक्ष, जिला बार संघ करौली को सूचनार्थ प्रेषित है।
- सिस्टम ऑफिसर करौली को जिला न्यायालय करौली की वेबसाईट पर डाउनलोड करने बाबत।
- नोटिस बोर्ड, करौली।



विशिष्ट न्यायाधीश,

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012  
एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 करौली